झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत
चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के
द्वादश (बजट) सत्र, 2018

में

माननीया राज्यपाल, झारखण्ड

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)
झारखण्ड, राँची

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

नव वर्ष 2018 के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए चौथी विधानसभा के द्वादश (बजट) सत्र में, मैं आप सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करती हूँ। नव वर्ष के इस प्रथम सत्र में इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। मैं यहाँ अपने उन उद्गारों को पुनः दुहराना चाहती हूँ, जो मैंने इस गरिमामयी सदन को संबोधित करते हुए पूर्व में भी व्यक्त किये हैं। वास्तव में मेरा सौभाग्य है कि, मुझे इस नयनाभिराम सौंदर्य एवं अतुलनीय प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। झारखण्ड राज्य को जितना इसके प्राकृतिक सौंदर्य एवं सम्पदाओं के लिए जाना जाता है, उतना ही, यहाँ के लोगों की सरलता और प्रशंसनीय विशिष्टताओं के साथ ही प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है।

2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने ऐसी योजनायें बनायी एवं नीतियां निर्धारित की हैं, जिससे समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में **महिला सशक्तिकरण, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/ ओ0डी0एफ0 झारखण्ड, कौशल मिशन/नौजवान एवं हुनरमंद झारखण्ड** के संकल्प के साथ **डिजिटल झारखण्ड, मोमेंटम झारखण्ड, जोहार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय समावेशन, मीठी क्रांति** इत्यादि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है।

3. हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र तक पहुँचने तथा राज्य को समृद्धि के मार्ग पर त्वरित गति से आगे ले जाने के प्रयासों में बीते वर्ष नये प्रतिमान स्थापित किये हैं। जनता की जिन आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए झारखण्ड राज्य का गठन किया गया, उसकी प्राप्ति के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अपने सृजन की तिथि से ही **'सबका साथ सबका विकास'** के मंत्र को आत्मसात् करते हुए राज्य में बेरोजगारी दूर करने,

समाज के अन्य लोगों के साथ ही आदिम जनजाति, पिछड़े एवं दलित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, सामुदायिक विकास करने तथा प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में सबों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

4. राज्य का चतुर्दिक विकास अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। विकास के सभी क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई, पेयजल की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक, दबे-कुचले शोषित वर्गों के जीवन-स्तर में उत्थान करने, उपलब्ध मानव संसाधन को आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में दक्ष बनाने हेतु उनका कौशल विकास करने, बुनियादी सुविधाओं को आम जनों तक सहज एवं सुलभ रूप में पहुँचाने आदि में हमारी सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

5. अपार आर्थिक विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण हमारा राज्य देश-विदेश के लिए पूंजी निवेश के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित हो रहा है। सरकार ने अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने, राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए इससे संबंधित नियमों का सरलीकरण किया है। जिसके फलस्वरूप Ease of Doing Business में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में लगातार अपना स्थान बनाये हुए है।

6. Momentum Jharkhand के उपरांत उद्यमियों को भू-आवंटन के साथ-साथ अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने एवं राज्य में औद्योगिक वातावरण के निर्माण हेतु सरकार द्वारा राँची, जमशेदपुर एवं बोकारो में ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुल 6669 करोड़ रू. पूंजीनिवेश तथा 49097 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के साथ 200

परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। राँची में झारखण्ड माइनिंग शो एवं ग्लोबल माइन्स एवं मिनरल्स समिट का आयोजन 30 अक्टूबर से 01 नवंबर 2017 तक सफलता पूर्वक किया गया, जिसमें 60 से अधिक देश-विदेश की कंपनियों ने भाग लिया तथा 04 महत्वपूर्ण MoU संपन्न हुए। MECL के साथ नीलामी हेतु खनिज ब्लॉक के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने हेतु MoU किया गया। एम.एस.एम.ई. क्लस्टर के विकास हेतु मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना की स्थापना की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भारत सरकार के सहयोग से सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) की स्थापना की गई है।

7. राज्य के खनिजों के उत्खनन एवं इससे संबंधित कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से खनिज आधारित क्षेत्रों को चिन्हित् करते हुए निविदा प्रकाशित कर खनन पट्टा आवंटित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला के पहाड़डीहा क्षेत्र के स्वर्ण खनिज, रामगढ़ जिला के हरिहरपुर-लेम-बीचा में चूनापत्थर खनिज के 02 ब्लॉकों एवं परासी स्वर्ण खनिज ब्लॉक यानी कुल 04 ब्लॉकों की नीलामी सफलता पूर्वक कर दी गयी है। इसके अलावा पलामू जिलान्तर्गत ग्रेफाइट ब्लॉक एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत आयरन ओर ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाधीन है।

8. राज्य में कॉरपोरेट सोशल दायित्व की राशि का व्यय सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप करते हुए कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा 1200 करोड़ की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के क्षेत्र में खर्च की गयी है।

9. राज्य के परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग को तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण एवं विपणन सुविधा के माध्यम से व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

10. राज्य के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने में सुदृढ़ विद्युतीय व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण में सुधार लाने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 29,376 ग्रामों में से शेष बचे 615 अविद्युतीकृत ग्रामों में से सभी ग्रामों का विद्युतीकरण दिसम्बर 2017 तक पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही 5,568 आंशिक विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, 2,35,639 ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण, 840 फिडर मीटरिंग का कार्य एवं 4 अदद् 33/11 के.वी. विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। शेष बचे हुए आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण एवं सभी ग्रामीण घरों का ऊर्जान्वयन का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर देने का लक्ष्य है।

11. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सहज सफल हर घर योजना **सौभाग्य** की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत छूटे हुए अविद्युतीकृत आवासों को विद्युतीकृत करने हेतु गाँवों में Last Mile Infractructure का विकास करते हुए सभी आवासों को विद्युतीकृत किया जाना है। झारखण्ड में सौभाग्य योजना के तहत दिसम्बर 2018 तक 17,64,248 ग्रामीण आवास एवं 1,64,112 शहरी आवास आच्छादित किये जायेंगे।

12. राज्य के 1400 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट अधिष्ठापित करने हेतु चिन्हित् किया गया है, जिसमें मुख्यत: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय, पहाड़िया आवासीय विद्यालय, वाणिज्यकर अंचल, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर अस्पताल, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, पुलिस थाना, कारा इत्यादि शामिल है। उक्त योजना के तहत् प्रथम चरण में कुल 191 सरकारी भवनों में से अब तक 117 भवनों पर कुल 2041 किलोवाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट अधिष्ठापित किया गया है तथा 191 भवनों में कार्य प्रगति पर है।

13. हमारी सरकार गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं गांवों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कृत संकल्पित है। राज्य के 24 जिलों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिये अकुशल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कुल 100 दिनों के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराने वाली योजना 'मनरेगा' के अन्तर्गत पारदर्शिता जबावदेही के मद्देनजर Geo MGNREGA का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके तहत् सभी योजनाओं का तीन चरणों में Geo-Tagging किया जाना है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ अभिषरण के माध्यम से मनरेगा अन्तर्गत लगभग कुल 40,000 पूर्ण सिंचाई कूपों में लाभुकों को पम्प-सेट उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। अभिषरण के माध्यम से मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने हेतु मनरेगा अन्तर्गत पूर्ण डोभों में मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षणोपरांत प्रति लाभुक 1,000 जीरा (Finger Lings) अथवा 1 लाख स्पोन उपलब्ध कराया जा रहा है।

14. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,59,052 इकाई आवास का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 1,37,119 लाभुकों का निबंधन, 96,576 का जियो टैग, 89,232 आवास की स्वीकृति एवं 44,675 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।

15. राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने इरादे को प्रबलता प्रदान करते हुए सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अबतक झारखण्ड के 11,590 गांवों में करीब 14,27,503 परिवारों को एकजुट कर 1,13,969 सखी मंडलों का गठन किया है। पूरे राज्य में 45,820 सखी मंडलों को 68.72 करोड़ रुपये चक्रिय निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक निवेश निधि के रुप में 31,515 सखी मंडलों को 177.59 करोड़ रुपये दिए गए हैं, वहीं बैंकों से जोड़कर करीब 58,469 सखी

मंडलों को 467.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से 85 से ज्यादा आजीविका **दीदी कैफे** प्रारम्भ किया गया है।

16. भारत गाँवों का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के शब्दों में कहें तो–असली भारत गाँवों में बसता है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की नींव को मजबूती प्रदान करने में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। इसी उद्देश्य से राज्य स्थापना दिवस, 2017 के ऐतिहासिक अवसर पर **जोहार परियोजना** का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर–कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों समेत उत्पादों में विविधता एवं उत्पादकता बढ़ाते हुए उनकी आय को दोगुना करना है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को उन्नत कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई के साधन, कौशल विकास से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हुए आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक ओर जहाँ परियोजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर इससे 50 फीसदी से अधिक महिला किसानों को भी लाभ होगा।

17. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता एवं समावेशन पर जोर देते हुए, ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गाँवों के क्लस्टर को रूर्बन क्लस्टर के रूप में विकसित करना है। रूर्बन क्लस्टरों के चयन में गैर–जनजातीय क्षेत्रों में 25–50 हजार की आबादी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5–15 हजार की आबादी को मानक बनाया गया है। रूर्बन क्लस्टर की योजनाओं के लिए Convergence एवं Critical Gap Fund का अनुपात 70:30 है। CGF के तहत गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 करोड़ रू0 एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए अधिकतम 15 करोड़ रू0 निर्धारित है।

18. सही अर्थों में राज्य का चतुर्मुखी विकास तभी संभव है, जब गाँवों में विकास की अविरल धारा प्रवाहित की जाय। हमारी सरकार द्वारा राज्य को खाद्यान उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर

बनाने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी एवं व्यावहारिक योजनायें चलाई जा रही हैं। विभिन्न फसलों के लिए प्रमाणित बीज की आपूर्ति तथा कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का प्रचार-प्रसार कर राज्य में खरीफ तथा रबी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाये गये हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से वर्ष 2017-18 में 539 नये बीज ग्रामों की स्थापना की गयी है।

19. झारखण्ड राज्य की कृषि पूर्ण रूप से मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार द्वारा मॉनसून पर राज्य के किसानों की निर्भरता को कम करने तथा उन्हें वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **बंजर भूमि/ राईस फैलो विकास योजना** के अन्तर्गत 300 करोड़ रू0 की लागत पर 2000 सरकारी/ निजी तालाबों के गहरीकरण/ जीर्णोद्धार की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे 16000-20000 हे0 भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

20. हमारी सरकार राज्य को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने हेतु सभी क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रतिदिन 54 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया गया। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 57 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन के लक्ष्य पर सरकार कार्य कर रही है। श्वेत क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राँची मुख्यालय में एक लाख लीटर क्षमता का एवं पलामू, देवघर, साहेबगंज, जमशेदपुर एवं गिरिडीह जिला में पचास हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

21. मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। मत्स्य उत्पादन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार मत्स्य कृषकों एवं केज में मछली उत्पादन करने वालों को मछलियों का आहार 50 प्रतिशत अनुदान पर दे रही है।

22. राज्य के विकास में जल संसाधन की मजबूती, विकास का अहम सूचक होती है। हमारी सरकार

हर हाथ को रोजगार, हर खेत को पानी की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य की सभी पुरानी योजनाओं का शत-प्रतिशत जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि वे अपनी सृजित क्षमता के अनुसार पटवन कर सकें।

23. बाबा नगरी देवघर में कई वर्षों से लम्बित पुनासी जलाशय योजना के निर्माण की दिशा में आ रही सभी अड़चनों को दूर करते हुए योजना का कार्य तेजी से प्रारम्भ किया गया है।

24. हमारी सरकार राज्य से कुपोषण के समूल उन्मूलन हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अधीन 9,00,055 अन्त्योदय परिवारों को रूपये 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी आदिम जनजाति परिवारों को उनके निवास स्थान तक 35 किलोग्राम चावल के पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अप्रैल 2017 से राज्य में **विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना** (PVTG डाकिया योजना) का शुभारम्भ किया गया है। राज्य में **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के अतंर्गत अब तक कुल 9.9 लाख परिवारों को मुफ्त में गैस संयोग दिया जा चुका है, जबकि मार्च 2018 तक 28.5 लाख परिवारों को मुफ्त गैस संयोग उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

25. जन वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों में GPS आधारित VTS (Vehicle Tracking System) का अधिष्ठापन किया गया है एवं इसके माध्यम से वाहनों की Tracking की जा रही है।

26. राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने एवं कृषि को लाभपरक बनाने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त सरकार की ओर से रू. 150/प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान PFMS/RTGS/NEFT के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किया जा रहा है।

27. राज्य की उन्नत सड़कें, हमारी सरकार की विकासवादी सोच की परिचायक हैं। अच्छी सड़कें, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की रीढ़ है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था की उत्पादकता, मजदूरी दर, गरीबी उन्मूलन की दर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं की ''डिलीवरी'' इत्यादि पर होता है। राज्य की भौगौलिक स्थिति ऐसी है कि पथ यातायात व्यवस्था का विकास एवं इसका सुदृढ़ीकरण राज्य के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। पथ निर्माण के मामले में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है।

28. पथ यातायात व्यवस्था के विकास हेतु पथों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, पथों की क्षमता को बढ़ाने एवं पथों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार करने हेतु हमारी सरकार राजकीय पथ, वृहद् जिला पथ एवं अन्य जिला पथों के विकास हेतु कार्य कर रही है।

29. वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 5000 करोड़ का बजटीय उद्व्यय स्वीकृत किया गया है। इस वर्ष लगभग 1550 कि0मी0 पथ एवं 50 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 1050 कि0मी0 पथों एवं 17 पुलों के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा चुका है।

30. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2000 किलोमीटर पथ निर्माण के विरुद्ध 1419 किलोमीटर पथ का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

31. राज्य में हर घर शौचालय, घर-घर साफ पानी पहुँचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इसी अंतर्गत DMFT अंतर्गत छह जिलों यथा- धनबाद, बोकारो, रामगढ़, प. सिंहभूम, चतरा एवं गोड्डा जिला की 47 अदद् योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिससे 14.05 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त 950 करोड़ की 19 अदद् योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

32. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 18.3 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। झारखण्ड राज्य में 3 जिला, 60 प्रखण्ड तथा 1314 ग्राम पंचायतों को खुले शौच से मुक्त किया जा चुका है। राज्य का अद्यतन ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन 66 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक 06 लाख और व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर 25 लाख शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।

33. राज्य की राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा रांची शहर के महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रांची शहर के विकास (रिंग रोड पर)-बूटी मोड़-कांटाटोली-रामपुर (रिंग रोड तक) के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

34. राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं उन्नत करने के उद्देश्य से वाहनों का निबंधन एवं चालक अनुज्ञप्ति के निर्गमन का कार्य पूर्णत: ऑनलाईन कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को अब अनावश्यक जिला परिवहन कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में वाहन कर, शुल्क आदि e-payment & Online Payment System के माध्यम से ली जा रही है। परिवहन विभाग के सभी प्रकार के कर/शुल्क को नये पोर्टल e-Gras से इंटीग्रेट कर दिनांक-13.11.2017 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है।

35. राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में सड़क सुरक्षा निधि मद में 15 करोड़ रूपये कर्णांकित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु परिवहन तंत्र के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों/सामग्रियों यथा-Breath Analyzer, Speed Camera Vehicles and Tab/ Equipments आदि का क्रय कर उनका उपयोग किया जा रहा है।

36. परिवहन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 151.48 करोड़ रूपये का योजना उपबंध

निर्धारित है। इसमें से 126.96 करोड़ रूपये रेलवे परियोजनाओं एवं सड़क सुरक्षा मद में 15.00 करोड़ तथा शेष 9.52 करोड़ रूपये अन्य मदों में व्यय किया जा रहा है।

37. हमारी सरकार सड़क, रेल के अलावा नागर विमानन सेवा के प्रसार हेतु प्रयत्नशील है। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों को नियमित उड़ान हेतु operational बनाने के लिए उनके विस्तार तथा विकास की कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 2400 फीट से बढ़ाकर 6000 फीट करने, पलामू (चियाँकी) हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 3000 फीट से बढ़ाकर 5200 फीट करने तथा दुमका हवाई अड्डा के रनवे की लम्बाई 4000 फीट से बढ़ाकर 6000 फीट करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त धालभूमगढ़ स्थित द्वितीय विश्वयुद्ध के abandoned हवाई पट्टी पर भी 150 एकड़ भूमि पर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु राज्य सरकार प्रयासरत है।

38. बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा 302.62 एकड़ भूमि में से 301.12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है। साथ ही देवघर हवाई अड्डा का विस्तार करते हुए वहाँ घरेलू हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कुल 653.75 एकड़ भूमि का अर्जन कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया है।

39. हमारी सरकार समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की लहर को पहुँचाने में जुटी है। झारखण्ड के वीर सपूतों के योगदान को स्मरणीय बनाने हेतु हमारी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में **शहीद ग्राम विकास योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू0 30 करोड़ राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है तथा इसके अन्तर्गत इन गाँवों में प्रति आवास 2.63 लाख रू0 की दर से कुल 696 आवास (कुल रू0 18.30 करोड़)

स्वीकृत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त पेयजल, स्मारक सुदृढ़ीकरण, सोलर स्ट्रीट लाईट, लिफ्ट इरिगेशन इत्यादि योजनाओं हेतु कुल 809.40 लाख रू0 की राशि आवंटित की जा चुकी है।

40. हमारी सरकार महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धजनों तथा अन्य कमजोर तबके के लोगों के कल्याण तथा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ राज्य की अधिक से अधिक बालिकाओं को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से इस योजना में BPL की बाध्यता को समाप्त करते हुए रु0 72,000/- आय वर्ग के परिवार की बालिकाओं को इससे आच्छादित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में शहरी गरीब परिवारों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए इस योजनान्तर्गत आधार कार्ड को आवासीय प्रमाण पत्र का दर्जा प्रदान किया गया है।

41. राज्य की अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना/ मसना/ जाहेरस्थान/ हड़गड़ी का अतिक्रमण न हो, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर इनकी घेराबंदी की जा रही है।

42. आदिम जनजाति पेंशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 2700 नये लाभुक शामिल किये गये हैं तथा वर्त्तमान में दुमका प्रमंडल की 19388 आदिम जनजातियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

43. हमारी सरकार ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न चरणों की परीक्षा में लगने वाले समय एवं श्रम को कम करने एवं परीक्षा में कदाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को **कम्प्यूटर आधारित परीक्षा** (Computer based Exam) आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

44. हमारी सरकार ने **राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम** के अन्तर्गत प्रदायी सेवाओं की संख्या का विस्तार करते हुए **19 विभागों** की कुल **308 सेवाओं** को उक्त नियमावली के तहत अधिसूचित किया है। अब इन सेवाओं में निर्धारित समयावधि में जन आवेदन का निष्पादन अनिवार्य है। भविष्य में इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं का विस्तार किये जाने की योजना है।

45. सरकारी सेवकों के सुगम अवकाश प्रबंधन हेतु HRMS के अन्तर्गत ऑनलाईन Leave Module का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में तत्काल आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति से सम्बन्धित ऑनलाईन आवेदन करने तथा सक्षम स्तर से आवेदन पर स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। इस ऑनलाईन Leave Module को **सचिवालय तथा संलग्न कार्यालय** एवं **उपायुक्त कार्यालय** तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में लागू किया गया है।

46. **जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र से** संबंधित जनसाधारण की समस्याओं के निदान हेतु टॉल फ्री नं0-18003456568 स्थापित किया गया है। जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन संकलन एवं ससमय निष्पादन को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर स्वयंसेवकों की सेवा ली जा रही है एवं इनके सहयोग से प्रमाण-पत्र निर्गमन कार्य में सुगमता सुनिश्चित की जा रही है। आठवीं एवं उच्चतर कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण-पत्र तथा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु अभियान चला कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

47. राजधानी रांची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी, भविष्य के औद्योगिक व समृद्ध झारखण्ड का चेहरा होगा। स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित Convention Center, Urban Civic Tower एवं JUPMI के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा राँची में 04 स्मार्ट रोड एवं बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

48. शहरी आवास योजनान्तर्गत 02 अक्तूबर, 2017 को गृह-प्रवेश दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें 20,000 आवासों में गृह-प्रवेश कराया गया। अभी तक 22,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के 41 नगर निकायों को 02 अक्तूबर, 2017 तक खुले में शौच से मुक्त करा लिया गया है। 2,09,848 व्यक्तिगत शौचालय तथा 569 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है एवं 170 सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

49. गंगा नदी को स्वच्छ बनाने हेतु **नमामि गंगे परियोजना** साहेबगंज एवं राजमहल में चलायी जा रही है। 146.62 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से क्रियान्वित किये जानेवाले भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Municipal Waste Water परियोजना प्रारंभ की गई है। साहेबगंज, राजमहल एवं कन्हैया स्थान हेतु River Front Development परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है।

50. मानव विकास तथा समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सरकार सतत् इस दिशा में प्रयासरत् है। सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू कर इस क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा में व्यापक सुधार कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

51. राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में शिक्षा में मूलभूत एवं आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना प्रमण्डल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल में आवासीय विद्यालय की स्थापना माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय का +2 विद्यालय में उत्क्रमण, मध्याह्न भोजन योजना हेतु पौष्टिक भोजन के साथ-साथ क्लीन एनर्जी तथा पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर एल.पी.जी. गैस की व्यवस्था,

विद्यालयों में बेंच-डेस्क एवं विद्युतीकरण की सुविधा आदि का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

52. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नियमित शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है। राज्य में गत् दो वर्षों में 18431 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्त्तमान में लगभग 21000 शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण की जानी है।

53. आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने हतु 225 पुस्तकालयों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। ज्ञानोदय योजना के तहत् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने तथा ऑन लाईन सूचना प्रेषण एवं रियल टाईम मॉनिटरिंग के लिये प्रत्येक विद्यालय को कम्प्यूटर डिवाइस टैब से युक्त करने हेतु 41 हजार टैब उपलब्ध कराया गया है।

54. राज्य के नौनिहालों में ज्ञान के साथ-साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम प्रारम्भ कर राज्य के लगभग 3000 छात्र-छात्राओं को क्रमशः दिल्ली-आगरा, कोलकाता-भुवनेश्वर- पुरी तथा बंगलुरू-मैसूर का अध्ययन भ्रमण कराया गया।

55. हमारी सरकार द्वारा राज्य के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीच क्रीड़ा को प्रोत्साहन देने हेतु 14 वर्ष उम्र के नीचे तथा 14 वर्ष उम्र के ऊपर के छात्र/ छात्राओं के बीच अन्तर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता के आधार पर 14 वर्ष उम्र के नीचे के 50 छात्र/छात्राओं तथा 14 वर्ष उम्र के ऊपर के 50 छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए उनकी प्रतिभा को निखारने हेतु टाटा फुटबॉल अकादमी द्वारा विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

56. तकनीकी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस वर्ष बहुद्देशीय कम्पनी

यथा–Siemens, Oracal, HP, TATA के सहयोग से नये–नये Courses प्रारम्भ किए जा रहे हैं और छात्र–छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा Latest Training की व्यवस्था की जा रही है।

57. पोलिटेकनिक संस्थानों में गत वर्ष कुल 10,590 सीट उपलब्ध थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 14565 सीट किया गया है। इस प्रकार कुल 3975 सीटों की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से Engineering संस्थानों में Lateral Entry के तहत 1190 सीटों से बढ़ाकर 3681 सीट किया गया है।

58. राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017–18 में कुल 13,865 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से कुल 9,283 व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के अंतर्गत छोटे–छोटे 101 प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र (मेगा स्किल सेन्टर) योजना के अंतर्गत 16 वृहत प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए गए हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर 24 की जाएगी।

59. कौशल विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी 2018–स्वामी विवेकानंद जयंती) के अवसर पर राज्य के 25,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जो राज्य सरकार के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प को दर्शाता है।

60. स्वस्थ झारखण्ड के सपने के पूरा करने एवं राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नबम्वर 2017 से लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवार (कुल जनसंख्या का 80%) लाभान्वित होंगे।

61. राज्य के नागरिकों को चौबीसों घण्टे आपात स्थिति में अस्पताल पहुँचाने हेतु सरकार द्वारा **108 एम्बुलेंस सेवा** नवम्बर 2017 से प्रारंभ की गई है। अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों से सुसज्जित 100 एम्बुलेंसों का परिचालन राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों तथा अलग-अलग जिलों में किया जा रहा है, तथा मार्च 2018 तक 329 एम्बुलेन्स क्रियाशील हो जायेंगे।

62. हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए दुमका, हजारीबाग एवं मेदिनीनगर (पलामू) में रु0 885.25 करोड़ की लागत से तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की है। सरकार का प्रयास है कि इन निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2018-19 से एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई आरंभ कर दी जाय।

63. असाध्य रोगों से पीड़ित राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु **मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना** के अन्तर्गत 72 हजार वार्षिक आय तक के परिवारों को 115 बीमारियों के लिए 2.50 लाख रुपए तक एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु 5.00 लाख रुपए एवं कैन्सर उपचार हेतु 4.00 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर 72 चयनित अस्पतालों में सी0जी0एच0एस0 दर पर ईलाज की सुविधा दी जा रही है।

64. आदिम जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समुदाय के बीच से ही किसी एक व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रूप में तैयार कर स्वास्थ्य सुविधाएँ उनकी बसाहट तक पहुँचाने हेतु सरकार प्रयासरत है।

65. पूर्व से परिभाषित सुयोग्य श्रेणी में सामान्य जाति, दिव्यांग एवं कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी को जोड़ते हुए भूमिहीन परिवारों के साथ संदेहात्मक/अनियमित जमाबंदी को नियमित किये जाने के लिए आवास हेतु 12.5 डिसमिल एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़

भूमि बंदोबस्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिससे करीब 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) परिवार लाभान्वित होंगे।

66. झारखण्ड की स्थानीय पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था के स्तम्भ मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों के बीच Digital India की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके बीच क्रमशः 977 टैबलेट, 81 टैबलेट एवं 6653 टैबलेट वितरित किया गया है।

67. गांधीवादी मूल्यों एवं उनके आदर्शों के सच्चे समर्थक टाना भगतों को समाज की मुख्य धारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है तथा इस निमित्त चालू वित्तीय वर्ष में 10.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

68. हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर सुधार प्रणाली **माल एवं सेवा कर** अधिनियम को अपनाते हुए दिनांक 01.07.2017 से राज्य में सफलतापूर्वक माल एवं सेवा कर प्रणाली क्रियान्वित कर दिया है। **वित्तीय वर्ष 2017-18** में वैट अधिनियम के अधीन माह दिसम्बर, 2017 तक **4140.59 करोड़** रूपये तथा माल एवं सेवा कर के **अधीन 3086.46 करोड़** अर्थात **कुल 7227.05 करोड़ रूपये** राजस्व की प्राप्ति हुई है जो गत वर्ष की तुलना में **850.68 करोड़ रूपये** अधिक है जो, कर संग्रहण में **13.34 प्रतिशत** की वृद्धि-दर को प्रदर्शित करता है।

69. राज्य में श्रम शक्ति की महत्ता आरम्भ से ही समझी जाती रही है। प्राकृतिक विषमताओं के बावजूद प्रदेश की श्रम शक्ति ने सभी क्षेत्रों में प्रगति के नये आयाम स्थापित किये हैं। श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारने तथा उनके कौशल का विकास कर रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर 2017 तक 10261 श्रमिकों को साईकिल, 22301 श्रमिकों को औजार तथा 48521 श्रमिकों को सेफ्टी किट तथा 59643 श्रमिकों को आम आदमी बीमा योजना से लाभान्वित किया गया।

70. निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना मृत्यु के बाद देय लाभ को 75,000/-रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये एवं सामान्य मृत्यु के बाद देय लाभ को 30,000/-रुपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये किया गया है।

71. हमारी सरकार ने विगत 03 वर्षो में 32 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनमें प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया है। वर्तमान में कुल 59 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार राज्य के सभी प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित है। इसके तहत् प्रथम फेज में 13 जिलों के 105 पिछड़े अनाच्छादित प्रखण्डों का चयन करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

72. हमारी सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा, उनके संवर्द्धन, वन प्रबंधन में आम जनता की भागीदारी एवं वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई क्षेत्रों मे उत्साहजनक प्रगति हुई है। इनमें मुख्यमंत्री जन-वन योजना, Sub mission on Agroforestry योजना के माध्यम से वनाच्छादन बढ़ाना, नई केन्दू पत्ता नीति का लागू होना, शहरी क्षेत्रों में कई नये पार्कों के निर्माण, उनके रख-रखाव एवं वन तथा वन्यप्राणी प्रबंधन के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त लगभग 30 वर्षो के बाद वनरक्षियों की नियुक्ति और Ease of doing business में तेज प्रगति ऐतिहासिक उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं।

73. इसके अतिरिक्त राज्य में वनों से होकर बहने वाली नदियों के तटों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से वृक्षारोपण की नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसमें प्रत्येक नदी के पाँच कि0मी0 तट पर वृक्षारोपण किया जायेगा। गंगा तट को अधिक आकर्षक एवं रमणीय बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा साहेबगंज तथा अन्य जिलों में नमामि गंगे परियोजना के तहत् गंगा एवं सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य कराये गये हैं।

74. झारखण्ड सरकार एवं सी0सी0एल0 के संयुक्त उपक्रम जे0एस0एस0पी0एस0 के द्वारा खेल अकादमियाँ संचालित की जा रही है, जिनमें 178 बच्चों का चयन कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 में चयन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक थी, राज्य के लगभग 20 हजार बच्चों में से 100 बच्चों का चयन किया गया है। जिनके लिए अत्यंत ही उच्च कोटि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिससे की ओलम्पिक-2024 में पदक प्राप्ति के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

75. राज्य के वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए **मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संथाल परगना प्रमण्डल से 1000 लाभुकों को हरिद्वार एवं ऋषिकेश तथा पलामू प्रमण्डल से 1000 लाभुकों के पुरी, भुवनेश्वर की यात्रा करायी गयी है।

76. छोटानागपुर की रानी नेतरहाट में पर्यटकों के लिए अक्टूबर 2017 से फरवरी 2018 तक Swiss Cottage Tent की व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेला 2017 के अवसर पर काँवरियों के देवघर तथा बासुकीनाथ में नि:शुल्क ठहराव के लिए प्रथम बार Tent City का अधिष्ठापन कराया गया।

77. सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राज्य की आवश्यक सेवाओं के विकास हेतु नीति का निर्धारण करते हुए राज्य में आई0टी0 उद्योगों की स्थापना, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इन्फोटेक सिटी, आइ0टी0 पार्क, विभिन्न सरकारी विभागों एवं निगमों का कम्प्यूटरीकरण इत्यादि पर हमारी सरकार कार्य कर रही है।

78. IFMS परियोजना के अंतर्गत e-Payment, e-Receipt, integration of Cyber Treasury with GSTN portal and RBI, Mybudget portal, Employee Portal, Online GPF Accounting System, Integration of Treasury with PFMS portal, Payslip portal जैसे-महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें e-receipt (e-GRAS) के तहत वर्ष 2017 में राज्य के revenue receipts से अब तक कुल राशि रू. 11886.25

करोड़ प्राप्त हुए हैं। राज्य के आम नागरिक e-GRAS Portal के माध्यम से e-Challan Generate कर इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड एवं राज्य के अंदर SBI के किसी भी शाखा पर अपना कैश/ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। e-Payment परियोजना के तहत् 5000/- रूपये से ज्यादा की राशि का भुगतान e-Payment के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जा रहे हैं। My budget Portal के माध्यम से आम जनता से सुझाव राज्य के बजट के पूर्व आमंत्रित किये जा रहे हैं।

79. e-pension Portal को Launch किया जा चुका है, जिसके द्वारा कर्मियों के Pension संबंधी दस्तावेजों का Digital स्थानांतरण महालेखाकार को किया जा सकता है तथा PPO Data महालेखाकार से Online प्राप्त कर कोषागार को ससमय उपलब्ध कराया जा सकता है। GPF कर्मचारियों द्वारा Employee portal के माध्यम से Account slip self generate करने का प्रावधान किया गया है, जो पूरे देश में unique सुविधा है।

80. हमारी सरकार ने राज्य में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के अपने इरादे को अमली जामा पहनाते हुए नक्सलियों के खिलाफ जोरदार एवं आक्रामक अभियान का संचालन किया है। वर्ष 2017 में कुल 34 अभियानों में 12 नक्सली मारे गये, 558 नक्सली गिरफ्तार किये गये, साथ ही 1.41 करोड़ रूपये लेवी की राशि बरामद की गई।

81. सरकार के द्वारा नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। नक्सलियों के आत्म-समर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत वर्ष-2017 में 46 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है।

82. नक्सल प्रभावित जिलों में अनुबंध के आधार पर 2500 सहायक पुलिस की भर्ती की गयी है। साथ ही 44 स्मार्ट थानों के तहत राँची, जमशेदपुर और धनबाद में 13 थानों का निर्माण किया गया है तथा शेष स्मार्ट थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

83. राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के उद्देश्य से वर्ष–2017 में जिला पुलिस में 4615, झारखण्ड सशस्त्र पुलिस में 622 आरक्षियों की भर्ती हेतु जे0एस0एस0सी0 द्वारा अनुशंसा की गई है। जिनमें से क्रमश: 4250 एवं 542 आरक्षियों ने योगदान दे दिया है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 2483, वितंतु अवर निरीक्षक के पद पर 100 तथा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1544 पुलिस अवर निरीक्षक के साथ–साथ आई0आर0बी0 में आरक्षी के पद पर 2810, वितंतु पुलिस में 692, विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर 480, एवं 48 प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के चयन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

84. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलांगना राज्य के Special Intelligence Bureau (SIB) की तर्ज पर झारखण्ड राज्य में भी Special Intelligence Bureau (SIB) का गठन किया गया है।

85. Unified Dial 100 परियोजना की शुरूआत हो चुकी है। साथ ही राँची शहर में Safe City योजना के तहत सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है। CCTNS योजना के तहत् राज्य के प्रत्येक जिले में Online FIR System की शुरूआत की गई है एवं State Emergency Response System के अन्तर्गत Dial 100 को Integrate करने की कार्रवाई भी प्रारम्भ की गई है।

86. राज्य के पांच केन्द्रीय काराओं एवं अन्य काराओं के सतत निगरानी एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रमश: 742 एवं 408 CCTV कैमरा का अधिष्ठापन JAP-IT के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही काराओं एवं न्यायालय में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाई का अधिष्ठापन JAP-IT के द्वारा कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे काराओं में बंदियों का शत–प्रतिशत उपस्थापन एवं अधिक से अधिक संख्या में Trial वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभव हो

सकेगा। इससे बंदियों की सुरक्षा एवं बंदियों को कारा से कोर्ट ले जाने एवं वापस जाने के दौरान संभावित विधि-व्यवस्था की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

87. झारखण्ड अग्निशमन सेवा का आधुनिकीकरण के साथ-साथ अनुमण्डल स्तर एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्निशामालयों की स्थापना की जा रही है।

88. हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2017-2018 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 32 प्रारंभिक जाँच दर्ज किए गये एवं इतनी ही प्रारंभिक जाँचों का निष्पादन किया गया। साथ ही इस वर्ष निगरानी ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय थानों में कुल 170 काण्ड प्रतिवेदित किए गए, जिसमें से 153 काण्डों का भी निष्पादन किया गया है। इस वर्ष कुल 137 सफल ट्रैप किए गए हैं। ट्रैप काण्डों में 157 गिरफ्तारी को मिलाकर कुल 160 गिरफ्तारियाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इस वर्ष की गयी हैं।

89. हमारी सरकार ने वैसे न्यायमंडल, जहाँ कुटुम्ब न्यायालयों एवं अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या 500 से अधिक है, में उक्त वादों के त्वरित निष्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय के प्रयोजनार्थ बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची एवं साहेबगंज के न्यायमंडलों में 01-01 अर्थात कुल 08 अतिरिक्त कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की है।

90. माननीय सदस्यगण, मैंने अभी आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की है। इसी सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतिकरण के अवसर पर वर्त्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी का एक और अवसर उपलब्ध होगा। इसी सत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 का आय-व्ययक और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी और तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा होगी।

91. माननीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि जनता ने मतदान के माध्यम से लोकतंत्र में जो अपनी गहरी आस्था व्यक्त की है, उस आस्था एवं विश्वास को अक्षुण्ण बनाये रखना भी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। साथ ही जनप्रतिनिधियों को सदन की गरिमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिये। सदन के अंदर एवं बाहर भी उनका आचरण ऐसा होना चाहिए, जो सम्पूर्ण जनमानस के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय हो।

92. अंत में, मैं कहना चाहूँगी कि, जनता–जनार्दन की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद–विवाद करें, गुण–दोषों का आकलन करें और सर्वसम्मति से राज्य हित में निर्णय लेने का प्रयास करें। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि राज्य की इस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के सदस्यगण अपनी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपनी समस्त ऊर्जा तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग, राज्य की जनता की भलाई एवं बेहतरी के लिए करेंगे।

जय हिन्द! **जय झारखण्ड!**